वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

मांग संख्या 11

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2021-2022			बजट 2022-2023			संशोधित 2022-2023			बजट 2023-2024		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	6618.07	1685.57	8303.64	7048.00	1300.00	8348.00	5362.57	1362.44	6725.01	6548.93	1651.70	8200.63
वसूलियां	*-51.69*	...	-51.69	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**6566.38**	**1685.57**	**8251.95**	**7048.00**	**1300.00**	**8348.00**	**5362.57**	**1362.44**	**6725.01**	**6548.93**	**1651.70**	**8200.63**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	114.18	...	114.18	114.36	...	114.36	188.16	...	188.16	197.15	4.95	202.10
2. बौद्धिक संपदा												
2.01 बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड सुदृढ़ीकरण (आईपीएबी)	0.37	...	0.37	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2.02 पेटेंट डिजाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक	194.06	...	194.06	207.95	...	207.95	232.65	...	232.65	277.60	4.00	281.60
2.03 प्रतिलिप्याधिकार कार्यालय	0.67	...	0.67	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2.04 बौद्धिक नीति अधिकार (आईपीआर) नीति प्रबंधन	3.75	...	3.75	7.28	...	7.28	19.34	...	19.34	36.21	0.10	36.31
2.05 पेटेंट अभिकल्प और ट्रेड मार्क महानियंत्रक में अवसंरचना विकास (आईडीसीजीपीडीटीएम)	...	9.99	9.99	...	16.50	16.50	...	33.42	33.42	...	11.00	11.00
जोड़- बौद्धिक संपदा	*198.85*	*9.99*	*208.84*	*215.23*	*16.50*	*231.73*	*251.99*	*33.42*	*285.41*	*313.81*	*15.10*	*328.91*
3. संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय												
3.01 पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ)	58.67	...	58.67	66.16	...	66.16	60.02	...	60.02	64.10	0.90	65.00
3.02 नमक आयुक्त	29.75	...	29.75	31.58	...	31.58	38.32	...	38.32	51.49	0.60	52.09
3.03 प्रशुल्क आयोग	6.26	...	6.26	7.92	...	7.92	1.59	...	1.59	...	...	...
3.04 बॉयलर सर्वेक्षण	...	...	...	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25
जोड़- संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय	*94.68*	...	*94.68*	*105.91*	...	*105.91*	*100.18*	...	*100.18*	*115.84*	*1.50*	*117.34*
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**407.71**	**9.99**	**417.70**	**435.50**	**16.50**	**452.00**	**540.33**	**33.42**	**573.75**	**626.80**	**21.55**	**648.35**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
4. भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएलडीपी)	228.46	...	228.46	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5. फुटवेयर, लेदर और सहायक सामग्री विकास कार्यक्रम (एफएलएडीपी)	...	...	...	208.00	...	208.00	74.53	...	74.53	250.00	...	250.00
6. औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम (आईआईयूएस)	2.71	...	2.71	5.08	...	5.08	5.08	...	5.08	5.00	...	5.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2021-2022			बजट 2022-2023			संशोधित 2022-2023			बजट 2023-2024		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
7. मूल्य एवं उत्पादन सांख्यिकी	17.25	...	17.25	16.23	...	16.23	20.00	...	20.00	17.85	...	17.85
राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर												
8. राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर विकास एवं कार्यान्वयन न्यास (एनआईसीडीआईटी)	859.10	...	859.10	1500.00	...	1500.00	1500.00	...	1500.00	2000.00	...	2000.00
9. प्रदर्शनी-सह-कॉन्वेंशन केन्द्र, द्वारका	...	245.58	245.58	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर	**859.10**	**245.58**	**1104.68**	**1500.00**	**...**	**1500.00**	**1500.00**	**...**	**1500.00**	**2000.00**	**...**	**2000.00**
मेक इन इंडिया												
10. निवेश संवर्धन योजना	202.47	...	202.47	189.00	...	189.00	189.00	...	189.00	194.85	0.15	195.00
11. निधियों की निधि	...	1330.00	1330.00	...	1000.00	1000.00	...	1189.02	1189.02	...	1470.00	1470.00
12. क्रेडिट प्रत्याभूति निधि	...	...	...	...	...	...	25.00	...	25.00	250.00	...	250.00
13. स्टार्ट-अप इंडिया	20.18	...	20.18	50.00	...	50.00	44.29	...	44.29	30.00	...	30.00
14. स्टार्टअप इंडिया सीड फण्ड स्कीम	...	100.00	100.00	...	283.50	283.50	...	140.00	140.00	...	160.00	160.00
15. व्यापार करने की सुगमता	9.13	...	9.13	12.00	...	12.00	11.50	...	11.50	10.00	...	10.00
16. विलास वस्तुओं (एसी एवं एलईडी लाइट) के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम	1.18	...	1.18	3.54	...	3.54	3.54	...	3.54	65.00	...	65.00
जोड़-मेक इन इंडिया	**232.96**	**1430.00**	**1662.96**	**254.54**	**1283.50**	**1538.04**	**273.33**	**1329.02**	**1602.35**	**549.85**	**1630.15**	**2180.00**
पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्रों का औद्योगिक विकास												
17. पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति (एनईआईपीपी)	180.00	...	180.00	20.00	...	20.00	90.00	...	90.00	200.00	...	200.00
18. उत्तर पूर्व औद्योगिक विकास स्कीम (एनईआईडीएस) 2017	30.00	...	30.00	150.00	...	150.00	165.00	...	165.00	400.00	...	400.00
19. परिवहन/ माल भाड़ा सब्सिडी स्कीम	382.95	...	382.95	300.00	...	300.00	156.20	...	156.20	50.00	...	50.00
20. विशेष श्रेणी राज्यों जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के लिए पैकेज	28.33	...	28.33	29.50	...	29.50	15.90	...	15.90	8.00	...	8.00
21. जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र औद्योगिक विकास स्कीम,2017	43.41	...	43.41	110.00	...	110.00	30.00	...	30.00	50.00	...	50.00
22. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड औद्योगिक विकास स्कीम, 2017	131.90	...	131.90	31.90	...	31.90	146.60	...	146.60	250.00	...	250.00
23. जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र औद्योगिक विकास	1.79	...	1.79	150.00	...	150.00	75.00	...	75.00	150.00	...	150.00
जोड़-पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्रों का औद्योगिक विकास	**798.38**	**...**	**798.38**	**791.40**	**...**	**791.40**	**678.70**	**...**	**678.70**	**1108.00**	**...**	**1108.00**
24. लद्दाख औद्योगिक विकास, 2022	...	...	...	...	...	...	...	...	...	97.30	...	97.30
25. पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के औद्योगिक इकाइयों को केंद्रीय और एकीकृत जीएसटी प्रतिदाय	3904.30	...	3904.30	3631.64	...	3631.64	2100.00	...	2100.00	1713.88	...	1713.88
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**6043.16**	**1675.58**	**7718.74**	**6406.89**	**1283.50**	**7690.39**	**4651.64**	**1329.02**	**5980.66**	**5741.88**	**1630.15**	**7372.03**
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
26. स्वायत्त संगठन												
26.01 स्वायत्तशासी संस्थाओं को सहायता	113.61	...	113.61	136.78	...	136.78	108.25	...	108.25	116.66	...	116.66
26.02 विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ)	0.74	...	0.74	0.80	...	0.80	0.80	...	0.80	0.83	...	0.83

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2021-2022			बजट 2022-2023			संशोधित 2022-2023			बजट 2023-2024		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
26.03 एशियाई उत्पादकता संगठन /संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन	18.31	...	18.31	24.87	...	24.87	19.64	...	19.64	22.00	...	22.00
26.04 स्वायत्तशासी निकायों को सहायता	34.54	...	34.54	43.16	...	43.16	41.91	...	41.91	40.75	...	40.75
जोड़- स्वायत्त संगठन	*167.20*	...	*167.20*	*205.61*	...	*205.61*	*170.60*	...	*170.60*	*180.24*	...	*180.24*
अन्य												
27. भारत कोरिया संयुक्त अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
28. वास्तविक वसूली	-51.69	...	-51.69	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-अन्य	**-51.69**	**...**	**-51.69**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**0.01**	**...**	**0.01**
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	**115.51**	**...**	**115.51**	**205.61**	**...**	**205.61**	**170.60**	**...**	**170.60**	**180.25**	**...**	**180.25**
कुल जोड़	***6566.38***	***1685.57***	***8251.95***	***7048.00***	***1300.00***	***8348.00***	***5362.57***	***1362.44***	***6725.01***	***6548.93***	***1651.70***	***8200.63***
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	58.65	...	58.65	66.16	...	66.16	60.02	...	60.02	64.10	...	64.10
2. लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय	...	9.99	9.99	...	16.50	16.50	...	33.42	33.42	...	11.00	11.00
3. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.90	0.90
जोड़-सामान्य सेवाएं	**58.65**	**9.99**	**68.64**	**66.16**	**16.50**	**82.66**	**60.02**	**33.42**	**93.44**	**64.10**	**11.90**	**76.00**
आर्थिक सेवाएं												
4. उद्योग	626.42	...	626.42	692.68	...	692.68	541.90	...	541.90	1021.01	...	1021.01
5. उद्योग और खनिजों पर अन्य परिव्यय	5550.82	...	5550.82	4455.09	...	4455.09	2869.84	...	2869.84	2840.36	...	2840.36
6. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	114.00	...	114.00	114.36	...	114.36	188.16	...	188.16	197.15	...	197.15
7. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	216.49	...	216.49	231.66	...	231.66	272.19	...	272.19	331.73	...	331.73
8. अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	...	1675.58	1675.58	...	1283.50	1283.50	...	1329.02	1329.02	...	1639.80	1639.80
9. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**6507.73**	**1675.58**	**8183.31**	**5493.79**	**1283.50**	**6777.29**	**3872.09**	**1329.02**	**5201.11**	**4390.25**	**1639.80**	**6030.05**
अन्य												
10. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	1488.05	...	1488.05	1430.46	...	1430.46	2094.58	...	2094.58
11. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-अन्य	**...**	**...**	**...**	**1488.05**	**...**	**1488.05**	**1430.46**	**...**	**1430.46**	**2094.58**	**...**	**2094.58**
कुल जोड़	**6566.38**	**1685.57**	**8251.95**	**7048.00**	**1300.00**	**8348.00**	**5362.57**	**1362.44**	**6725.01**	**6548.93**	**1651.70**	**8200.63**

1. **सचिवालय:** सचिवालय:- उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, आर्थिक सलाहकार कार्यालय के सचिवालय संबंधी व्यय हेतु व्यवस्था करता है।

2.01. **बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड सुदृढ़ीकरण (आईपीएबी):** बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड:- इसकी स्थापना पेटेन्ट नियंत्रक, व्यापार चिह्न रजिस्ट्रार, भौगोलिक निदर्शन, प्रतिलिप्याधिकार और पौधा किस्म एवं किसान के अधिकार मामलों के संबंध में निर्णय के विरूद्ध अपील

की सुनवाई करने के लिए की गई है। ये आईपीएबी उच्च न्यायालयों के अपीलीय क्षेत्राधिकार को प्रतिस्थापित करता है। इस बजट प्रावधान में वेतन और इस बोर्ड के अन्य संस्थापन की आवश्यकता संबंधी व्यय के लिएव्यवस्था है।

2.02. **पेटेंट डिजाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक:** महानियंत्रक पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न: यह कार्यालय औद्योगिक संपदा अधिकारों नामत: पेटेंट अधिनियम, 1970, डिजाइन अधिनियम, 2000, व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999, भौगोलिक उपदर्शन अधिनियम, 1999, प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 तथा अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिविन्यास डिजाइन अधिनियम, 2000 से संबंधित कानूनों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है।

2.03. **प्रतिलिप्याधिकार कार्यालय:** प्रतिलिप्याधिकार कार्यालय:- प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम की धारा 9 एक ऐसे कार्यालय की स्थापना हेतु अपेक्षित है जिसे इस अधिनियम के उद्देश्य हेतु प्रतिलिप्याधिकार कार्यालय के नाम से जाना जाएगा। प्रतिलिप्याधिकार कार्यालय केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त प्रतिलिप्याधिकार रजिस्ट्रार के सीधे नियंत्रण में आता है जो केंद्र सरकार की देख-रेख और निर्देश में कार्य करता है।

2.04. **बौद्धिक नीति अधिकार (आईपीआर) नीति प्रबंधन:** बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) नीति प्रबंधन:- बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) नीति प्रबंधन दो स्कीमओं का संशोधित संस्करण है, पहला बौद्धिक संपदा अधिकार संवर्धन और प्रबंधन के लिए प्रकोष्ठ (सीपेम) और दूसरा समग्र शिक्षा और शिक्षा के लिए आईपीआर में शिक्षाशास्त्र और अनुसंधान की स्कीम (एसपीआरआईएचए) (पूर्व में प्रतिलिप्याधिकार और आईपीआर का संवर्धन)। यह स्कीम राष्ट्रीय आईपीआर नीति के अनुसार है और भारत में आईपीआर जागरूकता, वाणिज्यिकरण और प्रवर्तन तथा संस्थाओं में आईपी शिक्षण को आगे बढ़ाने के साथ-साथ आईपीआर के विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन/अनुसंधान को बढ़ावा देने पर विशेष जोर देती है। एसपीआरआईएचए का उद्देश्य बौद्धिक संपदा शिक्षा और अनुसंधान की सुविधा प्रदान करना है।

2.05. **पेटेंट अभिकल्प और ट्रेड मार्क महानियंत्रक में अवसंरचना विकास (आईडीसीजीपीडीटीएम):** महानियंत्रक पेटेंट डिजाइन और व्यापार चिह्न कार्यालय में अवसंरचना विकास (आईडीसीजीडीपीटीएम):- महानियंत्रक पेटेंट डिजाइन और व्यापार चिह्न कार्यालय में अवसंरचना विकास (आईडीसीजीडीपीटीएम) महानियंत्रक पेटेंट डिजाइन और व्यापार चिह्न कार्यालय के तहत विभिन्न कार्यालयों के अवसंरचना विकास के लिए सहायता प्रदान करेगा।

3.01. **पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ):** पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ):- उस संगठन की स्थापना लागत के लिए प्रावधान करता है जो भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884, पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 और ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम, 1952 और उसके तहत बनाए गए विभिन्न नियमों का प्रशासन करता है। संगठन विस्फोटकों/पेट्रोलियम/गैस सिलेंडर और प्रेशर वेसल के निर्माण, कब्जे, बिक्री, उपयोग, परिवहन, आयात/निर्यात के लिए लाइसेंस प्रदान करता है। संगठन पाइपलाइनों सहित पेट्रोलियम और विस्फोटकों से संबंधित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत खतरनाक रासायनिक नियम 1989 के निर्माण, भंडारण और आयात का भी संचालन करता है। प्रतिष्ठान उपर्युक्त अधिनियमों के अंतर्गत आने वाले मामलों पर सभी प्राधिकरणों को सलाह देता है। संगठन जब्त और खराब विस्फोटकों (सैन्य विस्फोटकों के अलावा) का कार्य करता है और नष्ट करता है।

3.02. **नमक आयुक्त:** नमक आयुक्त:- संगठन नमक की योजना, उत्पादन लक्ष्य और वितरण, मूल्य निगरानी, विभाग की नमक भूमि की अभिरक्षा और अधीक्षण, अदालती मामलों सहित, नमक के मानकों और गुणवत्ता के रखरखाव, नमक के निर्यात के लिए जिम्मेदार है। यह राष्ट्रीय आयोडीन की कमी नियंत्रण कार्यक्रम (एनआईडीडीसीपी) के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। यह आयोडीन युक्त नमक सहित नमक के उत्पादन और तर्कसंगत वितरण को नियंत्रित करता है। यह नियमित रूप से नमक की कीमत और उपलब्धता की निगरानी भी करता है। बजट में संगठन के स्थापना शुल्क, नमक कामगारों के विकास/कल्याणकारी योजनाओं और एससीओ भूमि के प्रबंधन पर आने वाली लागत का प्रावधान है।

3.03. **प्रशुल्क आयोग:** प्रशुल्क आयोग: - भारत सरकार ने सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) और अन्य ग्राहक (क्लाइंट) संगठनों को सलाह देने के लिए प्रशुल्क आयोग की स्थापना की है औरनिष्पक्ष और न्यायोचित तरीके से संसूचित निर्णय लेने की सुविधा के लिए अध्ययन आधारित इनपुट प्रदान करते हैं और जिससे प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए व्यावहारिक सिफारिशों के साथ निर्णय लेने की अपनी क्षमताओं को सक्षम और तीव्र बनाते हैं।यह बजट,आयोग के संस्थाणपना खर्चों को पूरा करने के लिए प्रदान किया जाता है।

3.04. **बॉयलर सर्वेक्षण:** बॉयलर का सर्वेक्षण :- बॉयलर के संचालन और प्रबंधन संबंधी कार्यशालाओं का आयोजन और बॉयलर अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए परीक्षा आयोजित करने के लिए प्रदान किया जाता है।

4. **भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएलडीपी):** भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएलडीपी) :- भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएलडीपी) का मुख्य उद्देश्य चमड़ा और फुटवियर क्षेत्र के लिए बुनियादी ढांचे का विकास, चमड़ा क्षेत्र के लिए विशिष्ट पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करना, अतिरिक्त निवेश की सुविधा, रोजगार सृजन और उत्पादन में वृद्धि करना है। इस योजना को फुटवियर, चमड़ा और सहायक उपकरण विकास कार्यक्रम (एफएलएडीपी) में मिला दिया गया है।

5. **फुटवेयर, लेदर और सहायक सामग्री विकास कार्यक्रम (एफएलएडीपी):** फुटवियर और चमड़ा विकास कार्यक्रम (एफएलडीपी): फुटवियर, चमड़ा और सहायक-सामग्री विकास कार्यक्रम (एफएलएडीपी) स्कीम को वर्ष 2021-26 के दौरान कार्यान्वियन के लिए भारतीय फुटवियर और चमड़ा विकास कार्यक्रम के रूप में इसका नाम परिवर्तित करके दिनांक 19.01.2022 को मंत्रिमंडल द्वारा इसे जारी रखने के लिए अनुमोदित किया गया है।

6. **औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम (आईआईयूएस):** औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम (आईआईयूएस):- औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना प्रदान करके उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से चुनिंदा कार्यशील कलस्टर में अवसंरचना विकास किया जाएगा।

7. **मूल्य एवं उत्पादन सांख्यिकी:** मूल्य और उत्पादन आंकड़े:- यह स्कीम मूल्य और उत्पादन सांख्यिकी स्कीम, दो जारी पुरानी स्कीमों का विलय करके बनाई गई थी। 12वीं योजना अवधि के दौरान, ओईए एक स्कीमगत स्कीम अर्थात व्यवसाय सेवा मूल्य सूचकांक विकास का संचालन कर रहा था। इसी तरह, डीपीआईआईटी भी औद्योगिक सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण स्कीम का संचालन कर रहा था। इस स्कीम के तहत आवंटित निधियां केवल राजस्व व्यय (पेशेवर सेवाओं) के लिए हैं तथा मुख्य रूप से वेतन और मानदेय के भुगतान के लिए और संविदा क्षेत्र के अन्वेषकों और पर्यवेक्षकों के परिवहन भत्ते के लिए इनका उपयोग किया जाता है जो एनएसएसओ द्वारा डेटा संग्रहण में लगे हुए हैं तथा आर्थिक सलाहकार कार्यालय (ओईए) द्वारा नियुक्त परामर्शदाताओं को भुगतान अथवा पेशेवर सेवाओं हेतु भुगतान करने के लिए उपयोग किया जाता है।

8. **राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर विकास एवं कार्यान्वियन न्यास (एनआईसीडीआईटी):** राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास और कार्यान्वियन न्यास (एनआईसीडीआईटी):- भारत सरकार ने 7 दिसंबर, 2016 को भारत में औद्योगिक कॉरिडोर परियोजनाओं के समन्वित और एकीकृत विकास के लिए मौजूदा दिल्ली मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना कार्यान्वियन न्यास निधि (डीएमआईसी-पीआईटीएफ) के दायरे के विस्तार को अनुमोदित किया था और इसे राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास और कार्यान्वियन न्यास (एनआईसीडीआईटी) के रूप में पुन: नामित किया गया था। एनआईसीडीआईटी, डीपीआईआईटी के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है और वर्तमान में 11 विभिन्न औद्योगिक कॉरिडोर तथा भविष्य में आने वाले विभिन्न औद्योगिक कॉरिडोर भी एनआईसीडीआईटी के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेंगे। औद्योगिक कॉरिडोर के विकास की रूपरेखा भारत सरकार और राज्य सरकार (सरकारों) के बीच साझेदारी दृष्टिकोण पर आधारित है, जहां भारत सरकार मुख्य अवसंरचना के विकास के लिए

शहर/नोड/परियोजना विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) को इक्विटी और/अथवा ऋण के रूप में निधियां प्रदान करती है, राज्य, शहर/नोड/एसपीवी को अपनी इक्विटी के भाग के रूप में भूमि प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है।

9. **प्रदर्शनी-सह-कॉन्वेंशन केन्द्र, द्वारका:** प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र, द्वारका :- भारतीय अंतर्राष्ट्री य सम्मेलन और एक्स्पो केन्द्र द्वारका, नई दिल्ली की परिकल्पना देश में वैश्विक प्रदर्शनियों को आकर्षित करने के लिए एक प्रतिष्ठित संरचना और केंद्र के रूप में की गई है।

10. **निवेश संवर्धन योजना:** निवेश संवर्धन स्कीम:- निवेश संवर्धन एक बहुआयामी रणनीतिक कार्य कलाप है जो मौजूदा और संभावित निवेशकों के लिए निवेश के अवसर लाने का प्रयास करती है। किसी देश के लिए पूंजी, रोजगार, कौशल, प्रौद्योगिकी, उत्पादकता और नवप्रयोग के आगमन (इनफ्लक्स) का लाभ प्राप्त करने के लिए, निवेश संवर्धन हेतु प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सुधार, इज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) में सुधार, निवेश सुविधा और लक्षित आउटरीच जैसे मुख्य कार्य कलापों के लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता होती है।

निवेश अंतर्वाह को बढ़ाने के लिए, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) विभिन्न पहलें और सुधार कार्य कर रहा है जैसे मेक इन इंडिया की शुरुआत करना, चैंपियन क्षेत्रों और उप-क्षेत्रों को सहायता प्रदान करना, सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह और परियोजना विकास प्रकोष्ठों की स्थापना करना, औद्योगिक सूचना प्रणाली और राष्ट्रीय निवेश मंजूरी प्रकोष्ठों की स्थापना करना। वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए निवेश संवर्धन स्कीम को जारी रखने वाले घटकों में निवेशक को लक्षित करना और सुविधा प्रदान करना- घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कार्य कलाप, निवेश संवर्धन-प्रवर्धन और आउटरीच कार्य कलाप, परियोजना प्रबंधन कार्य कलाप और विदेश यात्रा शामिल हैं।

11. **निधियों की निधि:** स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स (एफएफएस):- स्टार्टअप्स के लिए फंड्स ऑफ फंड्स (एफएफएस) रुपये के कॉर्पस के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है। भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बहुत जरूरी बढ़ावा देने और घरेलू पूंजी तक पहुंच को सक्षम करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए। एफ एफ एस का प्रबंधन भारतीय लघु उद्योग बैंक (सिडबी) द्वारा किया जाता है। 2015-16 में 500 करोड़ रुपये जारी किए गए। 2016-17 में 100 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। 2019-20 में 431.3044 करोड़ रुपये जारी किए गए। 2020-21 में 429.99 करोड़ रुपये जारी किए गए। एफएफएस कॉर्पस के लिए 2021-22 में 1330 करोड़ रुपये जारी किए गए। 31 अक्टूबर 2022 तक कुल 3466.29 करोड़ रुपये जारी किए गए हैँ ।

12. **क्रेडिट प्रत्याभूति निधि:** स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएस):- डीपीआईआईटी ने स्थापित किया है स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएस) का उद्देश्य क्रेडिट प्रदान करना है पात्र उधारकर्ताओं को वित्तपोषित करने के लिए सदस्य संस्थानों (एमआई) द्वारा दिए गए ऋणों के लिए एक निर्दिष्ट सीमा तक गारंटी। डीपीआईआईटी स्टार्टअप द्वारा मान्यता प्राप्त है। योजना के तहत क्रेडिट गारंटी कवर लेन-देन आधारित और छाता आधारित होगा। अलग-अलग मामलों में एक्सपोजर रुपये पर कैप किया जाएगा। प्रति मामला 10 करोड़ रुपए या वास्तविक बकाया ऋण राशि, जो भी कम हो। डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स के लिए एक समर्पित क्रेडिट गारंटी संपार्श्विक मुक्त ऋण की अनुपलब्धता के मुद्दे को संबोधित करेगी और पूर्ण रूप से व्यावसायिक संस्था बनने की उनकी यात्रा के माध्यम से इनोवेटिव स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता के प्रवाह को सक्षम बनाएगी। यह योजना भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए नवाचार को बढ़ावा देने और उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार के फोकस को दोहराती है। भारतीयों के लिए घरेलू पूंजी जुटाने के उद्देश्य से स्टार्टअप, सीजीएसएस स्टार्टअप इंडिया के तहत मौजूदा योजनाओं का पूरक होगा पहल अर्थात स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स (एफएफएस) और स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना (एसआईएसएफएस)।

13. **स्टार्ट-अप इंडिया:** स्टार्टअप इण्डिया पहल-स्टार्ट अप इणडिया भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य स्टार्ट अप संस्कृति को प्रेरित करना और भारत की नवाचारऔर उद्यमिता हेतु सुदृढ़ और समावेशी परिस्थितिकी का निर्माण करना है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग दिनांक 19 फरवरी, 2019 के जीएसआर 127(ई) अधिसूचना के आलोक में स्टार्टअप की पहचान करता है। 31 अक्टूबर 2022 तक 662 जिलों में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा 81,484 स्टार्टअप की पहचान की गई है। प्रति स्टार्ट अप 11 रोजगार सृजन के औसत के साथ पहचाने गए स्टार्ट अप द्वारा 8.41 लाख रोजगार सृजित किए गए।

14. **स्टार्टअप इंडिया सीड फण्ड स्कीम:** स्टार्टअप्स इण्डिया सीड फण्ड योजना (एसआईएफएस)- एक उद्यम की प्रारंभिक विकास चरण पर उद्यमियों के लिए पूँजी की सुलभता आवश्यक है। इस स्तर पर जरूरी पूंजी अच्छे व्यावसायिक विचारों वाली स्टार्ट अप के लिए अक्सर करो या मरो की स्थिति पैदा करती है। एफआईएफएस का उद्देश्य 945 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ संकल्पना की पुष्टि, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद ट्रायलों, बाजार प्रवेश और व्यापारीकरण के लिए स्टार्ट अप को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। 31 अक्टूबर 2022 तक 123 इनक्यूबेटरो के लिए 442.25 करोड़ रुपए की संस्वीकृति प्राप्त हुई है।

15. **व्यापार करने की सुगमता:** ईज ऑफ डूइंग बिजनेस:- इस परियोजना का उद्देश्य केंद्र, राज्य तथा स्थानीय प्रशासन की सभी व्यवसाय तथा निवेश संबंधी विनियामक सेवाओं तक को सुविधाजनक बनाकरपहुंच सुनिश्चित करके भारत में एक व्यवसाय और निवेशक अनुकूल परिवेश सृजित करना है।

16. **विलास वस्तुओं (एसी एवं एलईडी लाइट) के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम:** व्हाइट गुड्स (एसी और एलईडी लाइट्स) के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआई): माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 वर्ष की अवधि के लिए 6,238 करोड़ रुपये के परिव्यय से 7 अप्रैल, 2021 को व्हाइट गुड्स के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को अनुमोदन प्रदान किया है। इस स्कीम को 16 अप्रैल, 2021 को ई-राजपत्र में अधिसूचित किया गया था और स्कीम के दिशा-निर्देश 4 जून, 2021 को डीपीआईआईटी की वेबसाइट पर प्रकाशित किए गए थे। यह स्कीम भारत में व्हाइट गुड्स के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देगी और इसके विनिर्माण के लिए बड़े निवेश आकर्षित करेगी। इसके साथ ही, इस स्कीम के तहत 64 आवेदकों को अनुमोदन प्रदान किया गया है और इससे 6,766 करोड़ रुपये की लागत से एसी और एलईडी लाइट्स के विनिर्माण इको-सिस्टम घटक में निवेश लाने की संभावना है।

17. **पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति (एनईआईपीपी):** पूर्वोत्तर औद्योगिक औरनिवेश प्रोत्साहन नीति (एनईआईआईपीपी),2007 :- पूर्वोत्तर औद्योगिक औरनिवेश प्रोत्साहन नीति (एनईआईआईपीपी),2007 को 31.03.2017 को समाप्त कर दिया गया है। हालाँकि, इस योजना की देख-रेख 31.03.2027 तक जारी रखी जाएगी।

18. **उत्तर पूर्व औद्योगिक विकास स्कीम (एनईआईडीएस) 2017:** पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास स्कीम (एनईआईडीएस), 2017 - पूर्वोत्तर राज्यों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने और रोजगार तथा आय सृजन को बढ़ावा देने के लिए, पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास स्कीम (एनईआईडीएस), 2017 नामक एक स्कीम दिनांक 12.04.2018 को अधिसूचित की गई थी जो दिनांक 01.04.2017 से पांच वर्ष की अवधि के लिए लागू की गई (दिनांक 31.03.2017 को एनईआईआईपीपी, 2007 स्कीम के बंद होने के बाद)। यह स्कीम दिनांक 31.03.2022 को बंद हो गई है, हालांकि, इस स्कीम के तहत पंजीकृत औद्योगिक इकाइयां दिनांक 31.03.2028 तक स्कीम के लाभों के लिए पात्र रहेंगी।

19. **परिवहन/ माल भाड़ा सब्सिडी स्कीम:** परिवहन / मालभाड़ा सब्सिडी योजना:- दिनांक 22.11.2016 से परिवहन / मालभाड़ा सब्सिडी योजना (एफएसएस), 2013 को समाप्य कर दिया गया है। हालांकि, दिनांक22.11.2016 की डीपीआईआईटी की अधिसूचना के जारी होने की तारीख से पहले इस योजना के तहत पंजीकृत औद्योगिक इकाइयां,दिनांक 21.11.2021 तक इस योजना के लाभ प्राप्तन करने के लिए पात्र होंगी।

20. **विशेष श्रेणी राज्यों जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के लिए पैकेज:** विशेष श्रेणी राज्यों जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के लिए पैकेज: यह पैकेज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्यों के लिए औद्योगिक विकास स्कीम हेतु है जिसका उद्देश्य इन केंद्र शासित प्रदेशों/राज्यों में औद्योगिक विकास में तेजी लाना है।

21. **जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र औद्योगिक विकास स्कीम,2017:** केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीमर, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए औद्योगिक विकास स्कीम, 2017: स्कीम 23 अप्रैल, 2018 को अधिसूचित की गई थी। इस स्कीीम के तहत लाभों में ऋण तक पहुंच के लिए केंद्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन (सीसीआईआईएसी), व्यापक बीमा प्रोत्साहन (सीसीआईआई) तथा केंद्रीय ब्याज प्रोत्साहन (सीआईआई) शामिल हैं। दिनांक 01.01.2019 की अधिसूचना के जरिए चार और घटकों, यथा जीएसटी प्रतिपूर्ति, आयकर प्रतिपूर्ति, परिवहन प्रोत्सा हन और रोजगार प्रोत्साहन को शामिल किया गया था। इस स्कीम के तहत लाभों का दावा करने की इच्छुक इकाइयों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए विभाग द्वारा इन-हाउस पोर्टल का विकास किया गया है। यह स्कीम दिनांक 15.06.2017 से 31.03.2022 तक वैध है। स्कीम के तहत अधिकार प्राप्तच समिति ने विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की 225 इकाइयों (जम्मू और कश्मीर-215, लद्दाख-10) को पंजीकरण प्रदान किया है।

22. **हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड औद्योगिक विकास स्कीम, 2017:** हिमाचल प्रदेश और उत्त्राखंड के लिए औद्योगिक विकास स्कीम, 2017: स्कीम दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2022 तक वैध है जो 23 अप्रैल, 2018 को अधिसूचित की गई थी। इस स्कीम के तहत लाभों में ऋण तक पहुंच के लिए केंद्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन (सीसीआईआईएसी) और व्यापक बीमा प्रोत्साहन (सीसीआईआई) शामिल हैं।

23. **जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र औद्योगिक विकास:** जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का औद्योगिक विकासः- अधिसूचना जारी होने की तारीख से जम्मू और कश्मीर औद्योगिक विकास योजना नामक नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना लागू होगी और 31.03.2037 तक जारी रहेगी। इस योजना के लिए कुल 28400 करोड़ रुपए का परिव्यय होगा जिससे निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगेः i. पूंजी निवेश प्रोत्साहन, ii. पूंजी ब्याज आर्थिक सहायता, iii. माल और सेवा कर सहबद्ध प्रोत्साहन तथा iv. कार्यशील पूंजी ब्याज आर्थिक सहायता।

24. **लद्दाख औद्योगिक विकास, 2022:** लद्दाख का औद्योगिक विकास, 2022: - केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख के औद्योगिक विकास के लिए नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना 2023-24 से कुल 3500/- करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ होगी। योजना अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे: i. पूंजी निवेश प्रोत्साहन, ii. पूंजी ब्याज आर्थिक सहायता, iii माल और सेवा कर सहबद्ध प्रोत्साहन (जीएसटीएलआई) और iv. कार्यशील पूंजी ब्याज आर्थिक सहायता।

25. **पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के औद्योगिक इकाइयों को केंद्रीय और एकीकृत जीएसटी प्रतिदाय:** पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालयी राज्यों में औद्योगिक इकाइयों को केंद्रीय और एकीकृत जीएसटी की वापसी : उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में स्थित पात्र इकाइयों को जीएसटी व्यवस्था के तहत प्रोत्साहन उपाय के रूप में बजटीय सहायता प्रदान करने की स्कीम दिनांक 05.10.2017 को अधिसूचित की गई थी, दिनांक 01.07.2017 से शेष अवधि लेकिन यह अवधि 30.06.2027 से अधिक नहीं होगी, जो केंद्र सरकार के हिस्से को राज्यों के हिस्से के हस्तांतरण के बाद बनाए रखे गए करों में 58 प्रतिशत तक सीमित है।

26.01. **स्वायत्तशासी संस्थाओं को सहायता:** स्वायत्त संस्थानों को सहायताः इस परियोजना के अंतर्गत, स्वाायत्त संस्थाओं अर्थात पांच राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और असम, केंद्रीय लुगदी और कागज अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री परिषद, केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय रबड़ विनिर्माता अनुसंधान संघ और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को सहायता प्रदान की जाती है।

26.02. **विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ):** विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ): डब्ल्यूआईपीओ में भारत की सदस्यता संबंधी अंशदान का प्रावधान किया गया है।

26.03. **एशियाई उत्पादकता संगठन /संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन:** एशियाई उत्पादकता संगठन/ संयुक्तय राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन : एशियाई उत्पादकता संगठन और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूनिडो) में भारत की सदस्यता हेतु अंशदान प्रदान करता है।

26.04. **स्वायत्तशासी निकायों को सहायता:** स्वायत्त निकायों को सहायता: इस परियोजना के तहत स्वायत्त संस्थानों जैसे राष्ट्रीय सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री परिषद, सीमेंट उद्योग के लिए विकास परिषद, कागज, लुगदी और संबद्ध उद्योग के लिए विकास परिषद और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को सहायता प्रदान की जाती है।

27. **भारत कोरिया संयुक्त अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन:** संयुक्त रूप से भारत-कोरिया के अनुप्रयुक्त आरएंडडी कार्यक्रम का कार्यान्वियन करना:- भारत-कोरिया भावी रणनीतिक ग्रुप के तहत संयुक्त रूप से भारत-कोरिया का अनुप्रयुक्त आरएंडडी कार्यक्रम: अनुप्रयुक्त विज्ञान और औद्योगिक प्रौद्योगिकी पर सहयोग बढ़ाने और आरएंडडी के अनुप्रयोग और प्रौद्योगिकी-वाणिज्यीकरण हेतु संयुक्त अनुप्रयुक्त अनुसंधान और विकास कार्यक्रम का कार्यान्वियन करने के लिए भारत की ओर से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और कोरिया की ओर से विज्ञान और आईसीटी मंत्रालय एवं व्यापार, उद्योग तथा ऊर्जा मंत्रालय के बीच भारत-कोरिया भावी रणनीतिक ग्रुप की स्थापना करने के लिए भारत-कोरिया ने 9 जुलाई, 2018 को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया। एमओयू में दोनों पक्षों की ओर से आरएंडडी परियोजनाओं का वित्त पोषण करने का प्रावधान है। वैश्विक नवप्रयोग और प्रौद्योगिकी गठबंधन (जीआईटीए) को भारत-कोरिया संयुक्त अनुप्रयुक्त आरएंडडी कार्यक्रम हेतु कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए डीएसटी तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (एमओसीएंडआई) की तरफ से समन्वय करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

28. **वास्तविक वसूली:** वास्तविक वसूली